दक्षिण मध्य रेलवे/SOUTH CENTRAL RAILWAY





प्रधान कार्यालय/Headquarters office, कार्मिक विभाग/Personnel Department, रेल निलयम/Rail Nilayam, चौथी मंजिल/4th Floor, सिकंदराबाद/Secunderabad-500 003.

संख्या/ No. SCR/P-HQ/256(a)/Gaz/8/MD/Sr.R/Vol.III

दिनांक/Date: 09.04.2025

ENGAGEMENT OF SENIOR RESIDENTS (GENERAL MEDICINE) IN CENTRAL HOSPITAL, LALLAGUDA, SCUNDERABAD ON CONTRACT BASIS

NOTIFICATION

1. South Central Railway invites applications from eligible candidates for the post of Senior Residents (General Medicine) in Central Hospital, Lallaguda on contract basis up to 31.12.2025 and further extendable up to maximum of 3 years subject to NBE accreditation and extension of currency of the posts from time to time.

Specialty	No. of Posts	Communal Break-up	Maximum age as on 01.04.2025
General Medicine	2	UR -1 OBC-1	UR – 37 years; OBC – 40 years, Relaxable by 3 years with the approval of PCMD in case candidates with prescribed age are not available.

2. Educational qualifications:

- I. Post Graduate Degree/DM/DNB in the concerned Specialty from any University recognized by State/Central Government.
- II. If candidates with PG qualification in a particular specialty are not available, candidates having at least three years' experience after MBBS out of which one year Junior Residency in Government Hospital or NMC recognized private Hospital in the concerned specialty, will be considered.
- III. The qualifications will be reckoned as on 01.04.2025.
- 3. Remuneration: Rs. 67,700/- pm plus admissible allowances.
- 4. How to apply: The application format (ANNEXURE-I) is available on the website i.e. scr.indianrailways.gov.in. The applicant shall email the duly filled in applications to the email-id: apogazscr@gmail.com together with documents in support of educational qualifications/Community certificate (only for the OBC candidates)/experience certificates. Applications NOT accompanied by documents in support of Age/Educational qualifications/Community will summarily be rejected. No correspondence on rejection will be entertained at a later date. The candidates should therefore ensure that they carefully fill in the application form and also enclose the relevant documents. The last date for uploading the applications is 25.04.2025.

9 04 2 2

5. Certificates to be enclosed by the OBC candidates:

OBC candidates applying for the post of Sr. Resident (General Medicine) have to submit the latest OBC certificate issued by MRO/Tehsildar in the format appearing in ANNEXURE-II.

6. Terms and conditions of the engagement:

i. The appointment of Sr. Resident Doctor is purely on contract basis for the period up to 31.12.2025 only and further extendable up to maximum of 3 years subject to extension of NBE accreditation and currency of the posts from time to time. The appointment

does not confer any right for regularization or appointment in Railways.

ii. Duties and responsibilities of the Senior Resident Doctors will be as fixed by the Railway Administration from time to time. They will be required to perform the assigned duties as may be needed in the legitimate interest of Railway administration including National Programme or during Railway accidents, in addition to their work in their specialty. The Senior Resident Doctors shall be required to be on call duty not exceeding 12 hours/day and no private practice shall be permitted.

ii. The Senior Resident Doctors will be eligible for weekly rest/off and leaves as per the

extant instructions in force during their contract period.

iv. Residential unfurnished accommodation would be provided to Senior ResidentDoctors subject to the availability. If railway accommodation is provided after meeting the requirement of serving Railway Officers, an amount equivalent to applicable HRA payable to the directly recruited GROUP 'A' Officer and license fee of the Railway accommodation will be deducted from the monthly remuneration/pay.

The contract can be terminated by the Railway Administration at any time during the contract period by giving 30 days' notice without assigning any reason as per the terms and conditions laid down in Railway Board's letter No. 88/H/2-1/9 dated 24.06.2008.

vi. In case of the Senior Resident gets selected for regular IRHS through UPSC in future, the service rendered as Sr. Resident on contractual basis will not be counted for any purpose including regularization or absorption.

7. **Method of Selection**: The eligible candidates will be interviewed by the nominated committee on the specified date and time which will be notified to the candidates on their mobile number or email-id given in the application.

APO/Gaz

for Principal Chief Personnel Officer

APPLICATION FOR THE POST OF SR. RESIDENT (GENERAL MEDICINE) IN RESPONSE TO NOTIFICATION NO. SCR/P-HQ/256(A)/GAZ/SR.R/VOL.III DATE 09.04.2025

To PCPO/SCR

Post applied for Sr. Resident (General Medicine)

Affix	latest	pass-
port	size	photo
duly	attest	ed by
Gaze	etted o	fficer

A) <u>Personal details</u> (any suppression of facts or false information will lead to cancellation of candidature):

1	Name (in Block letters)			
2	Father's /Husband's Name			
3	Date of Birth (as per SSC certificate)			
4	Age as on 01.04.2025	Years	Months	days
5	Nationality			
6	Community			
7	Present Address/Mailing Address			
8	Aadhar No.			
9	WhatsApp Mobile No.			
10	e-mail id			

B) Educational/Professional Qualification:

Examination	Year of Passing	Medical College/University	No. of attempts	Total Marks	% of Marks
MBBS					
PG Diploma*					
PG Degree*					
Post Graduate Doctoral Degree					
Details of publication presented during PG	s, papers				
Date of completion of internship:	frotating		ħĬ.		

^{*} Must have passed on or before 01.04.2025. Candidates appeared in final examination and waiting for results need not apply.

	Registration Details		
	Registration No.	Da	ate:
National Medical Commission			
State Government			
Deta	ils of previous work experie	ence:	
Name of the Hospital/City	Capacity		riod
		From	То
		, h	
f. Internship completion certificate. g. NMC/State Registration Certificate. h. Post Graduation Certificate (NIC). j. PG Diploma Certificate (NMC). Experience Certificate. k. Conference Certificate. Publications and details. Proof of present address/permann. D) Declaration: I, Dr. (Mr./Ms.)	MC recognized only) recognized only) nent address	Son/Daughter	
correct and true to the best of my statement, if found false at any statement administration immediate criminal legal action whatever decreases.	tage in future, my appointment ely and I shall be liable fo	er, I do undertake nt shall be liable to	that the above of be cancelled
I understand that I am undertaken before my engagemen	not eligible for any TA/DA nt.	/Railway Pass fo	r any journey
Date:			
Place:		Signatu	re of the candidat

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari				son/ d	aughter of
of villag	ge/town				in
District/Division		in	the	State/Union	Territory
belong	to the				
community which is recognised as a backward	d class unde	r the (Governi	ment of India, N	Ministry of
Social Justice and Empowerment's Resolution	No				dated
* Shri / Smt. / Kumari			aı	nd / or his / h	ner family
ordinarily reside(s) in the			Dis	trict / Divisio	n of the
State / Union T	'erritory. The	his is	also to	certify that he	/ she does
not belong to the persons / sections [Creamy	Layer] men	tioned	in Col	umn 3 of the S	chedule to
the Government of India, Department of Pe	rsonnel &	Traini	ng OM	No.36012/22/	93 – Estt.
[SCT] dated 8.9.1993**					
			Di	strict Magistrat	e
			Deput	y Commissione	r etc.
Dated:					
C 1					
Seal					
	*				
* The Authority issuing the contificate	1		,1	1 . 11 . 0	1 0
* The Authority issuing the certificate m Government of India, in which the caste o					olution of
** As amended from time to time.					
As amended from time to time.					

Note: - The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the

Representation of the People Act, 1950.

OBC Undertaking Declaration/Undertaking – for OBC Candidates only

I, son/daughter of Shri	
resident of village/town/city district	
State hereby declare that I belong to the community which is	recognised as a
backward class by the Government of India for the purpose of reservation in	services as per
orders contained in Department of Personnel and Training Office	
No.36012/22/93- Estt. (SCT), dated 8/9/1993. I also declare that I do	574A Sh 1985
persons/selections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule	
referred Office Memorandum, dated 8/9/1993, which is modified vide Departm and Training Office Memorandum No.36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 9/3/2004	
that the condition of status/annual income for creamy layer of my parents/gu	Partition of the Cartesian Control of the Cart
prescribed limits as on financial year ending on March 31, 2025.	
Signature	of the Candidate
Full Name:	
Correspondence Address:	
Place:	
Email:	
Mobile No:	
Date:	
Note: declaration/undertaking not signed by Candidate will be rejected	

दक्षिण मध्य रेलवे/SOUTH CENTRAL RAILWAY





प्रधान कार्यालय/Headquarters office, कार्मिक विभाग/Personnel Department, रेल निलयम/Rail Nilayam, चौथी मंजिल/4th Floor, सिकंदराबाद/Secunderabad-500 003.

संख्या/ No. SCR/P-HQ/256(a)/Gaz/8/MD/Sr.R/Vol.III

दिनांक/Date: 09.04.2025

केंद्रीय अस्पताल, लालागुडा, सिकंदराबाद में अनुबंध के आधार पर सीनियर रेसिडेंट (जनरल मेडिसिन) की नियुक्ति अधिसचना

1. दक्षिण मध्य रेलवे, केंद्रीय अस्पताल, लालागुडा में सीनियर रेजिडेंट (जनरल मेडिसिन) के पद के लिए अनुबंध के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से दि.31.12.2025 तक आवेदन आमंत्रित करती है तथा इन पदों की अवधि को एनबीई मान्यता और समय-समय पर पदों की करेंसी के विस्तार के अधीन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

विशेषज्ञता	पदों की सं.	समुदायवार ब्रेक-अप	दि.01.04.2025 तक अधिकतम आयु
जनरल मेडिसिन	2	अनारक्षित – 1 अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) – 1	अनारक्षित – 37 वर्ष; अन्य पिछड़ा वर्ग – 40 वर्ष, यदि निर्धारित आयु वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पीसीएमडी) के अनुमोदन से आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी.

2. शैक्षणिक योग्यता:

- राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री/डीएम/डीएनबी.
- II. यदि किसी विशेष विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो एमबीबीएस करने के उपरांत कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें से एक वर्ष संबंधित विशेषज्ञता में सरकारी अस्पताल या एनएमसी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में जूनियर रेजीडेंसी शामिल है, रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा.
- III. योग्यता की गणना दि.01.04.2025 तक की जाएगी
- 3. पारिश्रमिक: 67,700/- रु.प्रति माह के साथ स्वीकार्य भत्ते
- 4. आवेदन कैसे करें : आवेदन का प्रारूप (अनुलग्नक-I) वेबसाइट अर्थात् scr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है. आवेदकों को विधिवत भरे हुए आवेदन को ईमेल आईडी: apogazscr@gmail.com पर शैक्षणिक योग्यता/समुदाय प्रमाण पत्र (केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए)/अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ईमेल करना होगा. आयु/शैक्षणिक योग्यता/समुदाय के समर्थन में दस्तावेज न होने पर आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा. बाद में अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करें. आवेदन अपलोड करने की अंतिम तारीख 25.04.2025 है.

5. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र: सीनियर रेजिडेंट (जनरल मेडिसिन) के पद के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप में एमआरओ/तहसीलदार द्वारा जारी नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

6. अनुबंध की शर्तें एवं नियम:

- i. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति केवल दि.31.12.2025 तक की अवधि के लिए पूर्णतः अनुबंध के आधार पर है तथा समय-समय पर एनबीई मान्यता तथा पदों की करेंसी के विस्तार के अधीन इसकी अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है. यह नियुक्ति रेलवे में नियमितीकरण या नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है.
- ii. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्युटी और जिम्मेदारियाँ रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर तय की जाएँगी. उन्हें अपनी विशेषज्ञता के कार्य के अलावा, राष्ट्रीय कार्यक्रम सिहत रेलवे प्रशासन के वैध हित में या रेलवे दुर्घटनाओं के दौरान आवश्यकतानुसार सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना होगा. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे/दिन ड्यूटी पर रहना होगा और निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- iii. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी अनुबंध अवधि के दौरान लागू वर्तमान अनुदेशों के अनुसार साप्ताहिक विश्राम/छुट्टी और अवकाश के लिए पात्र होंगे.
- iv. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को उपलब्धता के आधार पर बिना सामान वाला आवासीय आवास उपलब्ध कराया जाएगा. यदि सेवारत रेलवे अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने के बाद रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो सीधे भर्ती किए गए ग्रुप 'ए' अधिकारी को देय लागू एचआरए और रेलवे आवास के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि मासिक पारिश्रमिक/वेतन से काट ली जाएगी.
- v. रेलवे बोर्ड के दिनांक 24.06.2008 के पत्र सं.88/एच/2-1/9 में निर्धारित शर्तों के अनुसार, रेलवे प्रशासन द्वारा अनुबंध अविध के दौरान किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है.
- vi. यदि भविष्य में यूपीएससी के माध्यम से सीनियर रेजिडेंट नियमित आईआरएचएस के लिए चयनित हो जाता है, तो अनुबंध के आधार पर सीनियर रेजिडेंट के रूप में की गई सेवा की गणना नियमितीकरण या आमेलन सहित किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी.
- 7. चयन की विधि : नामित समिति द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसकी सूचना उम्मीदवारों को आवेदन में दिए गए उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर दी जाएगी.

सहायक कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

ANNEXURE - I

अधिसूचना संख्या एससीआर/पी-एचक्यू/256(ए)/जीएजेड/एसआर.आर/वॉल्यूम.III दिनांकित 09.04.2025 के प्रत्युत्तर में सीनियर रेजिडेंट (जनरल मेडिसिन) के पद के लिए आवेदन

सेवा में प्रमुकाधि/दमरे

सीनियर रेजिडेंट (जनरल मेडिसिन) - पद के लिए आवेदन

राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

ए) व्यक्तिगत विवरण (तथ्यों को छिपाने या गलत जानकारी देने पर उम्मीद	वारा रह क	र दा जाएगा):

1	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)				
2	पिता/पति का नाम				
3	जन्म तिथि				
	(एसएससी प्रमाण पत्र के अनुसार)				
4	आयु दि.01.04.2025 तक	वर्ष	माह	दिन	
5	राष्ट्रीयता				
6	समुदाय				-
7	वर्तमान पता/डाक पता				
8	आधार सं.				
9	व्हाट्सएप मोबाइल नम्बर				
10	ई-मेल आईडी				

बी) शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताः

TI) MITTER TO THE TAILED					
परीक्षा	उत्तीर्ण करने का वर्ष	मेडिकल कॉलेज / विश्वविद्यालय	प्रयासों की संख्या	कुल अंक	अंकों का प्रतिशत
एमबीबीएस					
पीजी डिप्लोमा*					
पीजी डिग्री*					
पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट डिग्री					
पीजी के दौरान प्रस्तुत किए गए शोधपत्रों का विवरण	ए प्रकाशनों,				
रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी होने की	तारीख:				

^{*} दि. 01.04.2025 को या उससे पहले उत्तीर्ण होना चाहिए. अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने वाले और परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

	पंजीकरण विवरण			
	पंजीकरण संख्याः	दिन	ांक:	
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग				
राज्य सरकार				
	पिछले कार्य अनुभव का विवरण:			
अस्पताल/नगर का नाम	क्षमता	अवधि		
		से	तक	

सी) राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न की जाएं:

- ए. जन्म तिथि के लिए एसएससी/एसएसएलसी प्रमाणपत्र
- बी. सामुदायिक प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र)
- सी. पहचान प्रमाण (पैन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट)
- डी. एमबीबीएस की समेकित मार्कशीट
- ई. एमबीबीएस डिग्री प्रमाण पत्र
- एफ. इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र
- जी. एनएमसी/राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र
- एच. पोस्ट ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र (केवल एनएमसी मान्यता प्राप्त)
- आई. पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र (केवल एनएमसी मान्यता प्राप्त)
- जे. अनुभव प्रमाण पत्र
- के. सम्मेलन प्रमाणपत्र
- एल. प्रकाशन और विवरण
- एम. वर्तमान पते/स्थायी पते का प्रमाण

डी) घोषणाः

मैं, डॉ. (श्री/सुश्री)पुत्र/पुत्री/पत्नीपुत्र/पुत्री/पत्नी
एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार
सही और सत्य हैं. इसके अलावा, मैं वचन देता/देती हूं कि यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर उपर्युक्त कथन गलत पाया
जाता है, तो प्रशासन द्वारा मेरी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और मैं दंडात्मक/अनुशासनात्मक/सिविल या
आपराधिक कानूनी कार्रवाई, जो भी उचित समझा जाएगा के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी.

मैं समझता/समझती हूँ कि मैं अपनी नियुक्ति से पहले की गई किसी भी यात्रा के लिए किसी भी टीए/डीए/रेलवे पास के लिए पात्र नहीं हूं.

-	_	-
10		I ch.
111		191
	-	4 4. *

स्थान:

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

	पुत्र/पुत्री
गांव/शहर जिला/मंडल	
राज्य/संघ शासित प्रदेश के	मुदाय से
संबंधित हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प	0
दिनांकित के अंतर्गत पिछड़ा	वर्ग के
रूप में मान्यता प्राप्त है*. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या उनका परिवार सा	
राज्य/संघ शासित प्रदेश जिला/मंडल में रहते हैं. यह भी प्रमाणित किया जा	
वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012	
– स्थापना [एससीटी] की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों [क्रीमी लेयर] से संबंधित नर्ह	
— स्थापना [एससाटा] का अनुसूचा के कालम ३ में उल्लाखत व्यक्तिया/वर्गा किंगमा लयर] से संबाधत नह	। ह. **
जिला मा	जिस्टेट
उपायुक्त	17-11-2
उपायुक्त	जााद
दिनांक:	
14.114.	85
सील	
* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण देना होगा,	, जिसमें
उम्मीदवार का समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग बताया गया है.	
** समय-समय पर संशोधित.	
नोट: - यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः' का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 2	20 में है.

अन्य पिछड़ा वर्ग - वचनबद्धता घोषणा/ वचनबद्धता- केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए

में,	पुत्र/पुत्रीर्श्र	<u> </u>
गांव/कस्बा/शहर	जिला_	राज्य का निवासी
हूं, एतद्वारा घोषणा करता/करती	हूं कि मैं	समुदाय से संबंधित हूं, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण
विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्य	T 36012/22/93- स्थापन	ा (एससीटी), दिनांकित 8/9/1993 में निहित आदेशों
के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के	प्रयोजन के लिए भारत स	रकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है. मैं
यह भी घोषणा करता/करती हूं ि	के मैं ऊपर उल्लिखित क	ार्यालय ज्ञापन, दिनांकित 8/9/1993 की अनुसूची के
कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/	चयनों (क्रीमी लेयर) से सं	बंधित नहीं हूं, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3	/2004 स्थापना (आरक्षण) दिनांकित 9/3/2004 द्वारा संशोधित किया गया है.
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि में	रे माता-पिता/अभिभावक	की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त
31 मार्च, 2025 को समाप्त होने व	ाले वित्तीय वर्ष के अनुसार	र निर्धारित सीमा के भीतर है.
		उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पूरा नामः		
पत्राचार पताः		
स्थान:		
ईमेल:		
मोबाइल नंबर:		
दिनांक:		
	_ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
नाट: उम्मादवार द्वारा हस्ताक्षारत	त नहां का गई घाषणा/वच	नबद्धता को अस्वीकार कर दिया जाएगा.